[2021] 1 एस. सी. आर. 552

मद्रास गणराज्य में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय। बी. वाई.

यह पंजीकृत सामान्य है

वी.

एम. सी. सुब्रमण्यम और ओ. आर. एस.

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 3063-3064 2021 का)

17 फरवरी, 2021

[मोहन एम. शांतनागौदर और

वाइन सारन, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 89-तमिलनाडु न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1955 - एस. 69-ए-एक में प्रवेश करने वाले दल

एस के तहत विचार किए गए तरीकों के बाहर उनके बीच विवाद को हल करने के लिए अदालत के बाहर निजी समझौता। 89 और मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगना और अदालत की फीस की वापसी-अदालत की फीस की वापसी-की अनुमति-आयोजितः एस का उद्देश्य। 69 - ए उन पक्षों को पुरस्कृत करने के लिए है जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लेने का विकल्प चुना है।

अधिक सुलहकारी विवाद निपटान तंत्र का पक्ष लेना, इस प्रकार

न्यायालय के समय और संसाधनों की बचत, उन्हें उनके द्वारा जमा किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी का दावा करने में सक्षम बनाकर-न्यायालय शुल्क की ऐसी वापसी, हालांकि यह अदालत के शुल्क के सार से जुड़ी नहीं हो सकती है। पक्षकारों के बीच विवाद, निश्चित रूप से उन्हें विवाद निपटान के वैकल्पिक तरीकों की खोज की दिशा में प्रेरित करने के लिए एक सहायक आर्थिक प्रोत्साहन है। 89 निजी सुविधा प्रदान करना है

बस्तियाँ, और भीड़भाड़ वाले डॉकेट की बिजली को सक्षम करते हैं

भारतीय न्यायपालिका - अधिनियम, 1955 की धारा 69-ए और धाराएं। 89 सी. पी. सी. की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो उनके उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करे-उन्हें संकीर्ण रूप से बनाने से स्थिति पैदा हो जाएगी।

जिसमें पक्षकार जो एस के अधीन मध्यस्थता केंद्र या वैकल्पिक न्यायिक निपटान के अन्य केंद्रों के माध्यम से विवाद का निपटारा करते हैं। 89 अपने न्यायालय शुल्क की वापसी का दावा करने का हकदार होगा, जबकि निजी तौर पर विवादों का निपटारा करने वाले पक्षों को धनवापसी की मांग करने के लिए किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया जाएगा-दो समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच अंतर व्यवहार संविधान के Art.14 का उल्लंघन होगा-इस प्रकार, सी. पी. सी. की धारा 89 में शामिल होगा, और धाराओं का लाभ। 69 -

1955 के अधिनियम का ए पक्षकारों के बीच अदालत के बाहर विवाद निपटान के सभी तरीकों तक भी विस्तारित होगा, जिन पर अदालत को बाद में कानूनी रूप से पहुंचा गया है-इस प्रकार, इसमें शामिल होंगे -

552 मद्रास गणराज्य में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय। वी.

एम. सी. सुब्रमण्यम

वर्तमान विवाद, जिसमें एक निजी समझौता हुआ था,

और अपील को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया गया था। विधियों की व्याख्याः उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायालय किसी भी कठिनाई से बचने के लिए या

किसी कानून की भाषा में अनजाने में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप होने वाला अन्याय, उसी की व्याख्या को ढालता है ताकि अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके-इसमें उन स्थितियों को शामिल करने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के दायरे का विस्तार करना शामिल हो सकता है जो उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा में सख्ती से शामिल नहीं हैं।

विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सी. पी. सी. की धारा 89 के प्रावधानों को दीर्घकालिक प्रसार की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए।

दीवानी अदालतों में मुकदमेबाजी, जिसने न्यायिक प्रणाली पर अनुचित बोझ डाला है, जिससे त्वरित न्याय हताहत होने के लिए मजबूर हो गया है। जैसा कि विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 और संबद्ध प्रावधानों के संशोधन पर अपनी 238 वीं रिपोर्ट में कहा है, धारा 89 ने अब दीवानी अदालतों को दीवानी विवादों को इस दिशा में मोड़ने का प्रयास करने के लिए बाध्य कर दिया है।

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाएँ, और उन्हें प्रोत्साहित करें

न्यायालय के बाहर समझौता (पैरा 2.3)। ये टिप्पणियां धारा 89 के उद्देश्य और उद्देश्य को स्पष्ट करती हैं- निजी बस्तियों को सुविधाजनक बनाने और भारतीय न्यायपालिका के भीड़भाड़ वाले हिस्से को हल्का करने में सक्षम बनाने के लिए। यह उद्देश्य पवित्र है

और भारतीय न्यायालयों में समय पर न्याय के प्रभाव के लिए अनिवार्य, 1955 अधिनियम की धारा 69-ए को भी सूचित करता है, जो आगे अदालत शुल्क की वापसी का प्रावधान करके निपटान को प्रोत्साहित करता है। यह

इसलिए, दोनों प्रावधानों के व्यापक और लाभकारी उद्देश्य और उद्देश्य को इस न्यायालय की व्याख्या को सूचित करना चाहिए। [पैरा 12] [560-बी-ई]

2. यह सर्वसम्मत है कि न्यायालय अनजाने में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी कठिनाई या अन्याय से बचने के लिए

कानून की भाषा, उसी की व्याख्या को ढालती है ताकि अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसमें उन स्थितियों को शामिल करने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के दायरे का विस्तार करना शामिल हो सकता है जो उपयोग की जाने वाली भाषा [2021] 1 एस. सी. आर. में सख्ती से शामिल नहीं हैं।

उसमें। सी. पी. सी. की धारा 89 और 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए की संकीर्ण व्याख्या को लागू करने की मांग की गई याचिकाकर्ता एक ऐसे परिणाम की ओर ले जाएगा जिसमें पक्षकार जिन्हें न्यायालय द्वारा मध्यस्थता केंद्र या अन्य केंद्रों में भेजा जाता है, वे अपने न्यायालय शुल्क की पूरी वापसी के हकदार होंगे; जबकि पक्षकार

जो इसी तरह अपने विवाद को निजी तौर पर निपटाकर न्यायालय के समय और संसाधनों की बचत करते हैं, वे उसी लाभ से वंचित रहेंगे, केवल इसलिए कि उन्हें समझौता करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। हमारी राय में, इस तरह की व्याख्या स्पष्ट रूप से एक बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम की ओर ले जाती है, जहां दो वर्गों के पक्षों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के उद्देश्य और उद्देश्य को समान रूप से सुविधाजनक बना रहे हैं, जिसमें एक वर्ग को 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए के लाभ से वंचित किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में एक शाब्दिक या तकनीकी व्याख्या,

यह केवल अन्याय की ओर ले जाएगा और प्रावधानों के उद्देश्य को निरर्थक बना देगा-और इस प्रकार, प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के पक्ष में, इससे अलग होने की आवश्यकता है। [पैरा 13,15] [561-बी-सी; एफ-एच; 562-ए-बी]

3. धारा 69-ए का उद्देश्य उन पक्षों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने अधिक के पक्ष में अपने मुकदमे वापस लेने का विकल्प चुना है।

सुलहकारी विवाद निपटान तंत्र, इस प्रकार न्यायालय के समय और संसाधनों की बचत करता है, जिससे वे अपने द्वारा जमा किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी का दावा करने में सक्षम हो जाते हैं। अदालत शुल्क की इस तरह की वापसी, हालांकि यह पक्षों के बीच विवाद के सार से जुड़ी नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से उन्हें विवाद के वैकल्पिक तरीकों की खोज करने की दिशा में प्रेरित करने के लिए एक सहायक आर्थिक प्रोत्साहन है।

समझौता। जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कमलम्मा में ठीक ही कहा है, जो पक्ष धारा 89, सी. पी. सी. के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमत हुए हैं, वे इस लाभ के और भी अधिक हकदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि

अपने दावों को स्वयं हल करने का विकल्प चुनते हुए, उन्होंने राज्य को विवाद को निपटाने के लिए एक तीसरे पक्ष की संस्था की व्यवस्था करने की तार्किक परेशानी से बचाया है। यद्यपि मध्यस्थता और मध्यस्थता निश्चित रूप से हितकारी विवाद समाधान तंत्र हैं, हम यह भी पाते हैं कि पक्षों के बीच निजी सौहार्दपूर्ण बातचीत के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई न्यायोचित कारण नहीं है कि धारा 69-ए को केवल धारा 89, सी. पी. सी. में बताए गए अदालत से बाहर के निपटारे के तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और मद्रास आर. ई. पी. में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के समक्ष कदम उठाना चाहिए।

वी. एम. सी. सुब्रमण्यम

पक्षकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य विधियों के लिए उपचार। [पैरा 19] [564-सी-जी]

4.1 मान लीजिए, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें पक्षकारों के पास एक लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद, या कई तुच्छ मामले हो सकते हैं।

मुकदमेबाजी ने अपने विवादों को निपटाने की आड़ में अदालत की फीस वापस करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसे मामलों में, न्यायालय, पक्षों के पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए और समता के सिद्धांत, न्यायालय शुल्क से संबंधित प्रासंगिक नियमों के तहत राहत देने से इनकार करते हैं। हालांकि, वर्तमान मामला इस तरह का नहीं है। [पैरा 19] [564-जी-एच; 565-ए]

4.2 इस प्रकार, भले ही 1955 के अधिनियम की धारा 89, सी. पी. सी. और 69-ए की शर्तों का सख्त निर्माण शामिल नहीं हो सकता है।

पक्षकारों के बीच ऐसी निजी वार्ता और समझौते, ऐसे समझौते में भाग लेने वाले वही लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जो धारा 89, सी. पी. सी. के तहत वैकल्पिक विवाद निपटान विधियों का पता लगाने के लिए संदर्भित किए गए हैं। हालाँकि रजिस्ट्री/राज्य सरकार को अल्पावधि में एक बार का अदालत शुल्क का नुकसान होगा, लेकिन वे खर्च और अवसर बचाएँगे। लंबी अवधि में मुकदमेबाजी के अंतहीन चक्र के प्रबंधन की लागत। इसलिए यह उनके अपने हित में है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 के दावे की अनुमति दें। [पैरा 20] [565-ए-सी]

4.3 इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही था कि सी. पी. सी. की धारा 89 और 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए की व्याख्या की जाए।

उदारतापूर्वक। इस व्यापक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को देखते हुए, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है। सी. पी. सी. की धारा 89 में शामिल होगी, और 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए का लाभ पक्षकारों के बीच अदालत के बाहर विवाद निपटारे के उन सभी तरीकों तक भी विस्तारित होगा, जिन पर अदालत बाद में कानूनी रूप से पहुंची है। इस प्रकार, यह वर्तमान विवाद को शामिल करेगा, जिसमें एक निजी समझौता किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को वापस लेने के लिए एक ज्ञापन दायर किया गया था। ऐसे मामले में भी, अपीलार्थी, अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1, न्यायालय शुल्क की वापसी का हकदार होगा। [पैरा 21] [565-सी-ई]

प्रवर्तन निदेशालय बनाम। दीपक महाजन, 1994 3 एससीसी 440: [1994] 1 एस. सी. आर. 445; शैलेश धैर्यवान बनाम। मोहन बालकृष्ण लुल्ला, (2016) 3 एससीसी 619 [2015] [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12 एस. सी. आर. 70; अनुराग मित्तल बनाम शैली मिश्रा मित्तल, (2018) 9 एससीसी 691: [2018] 10 एस. सी. आर. 123-पर निर्भर।

कमलम्मा और ओआरएस। v.Honnali तालुक कृषि

प्रोड्यूस को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, (2010) 1 एयर कर। आर 279; प्रदीप सोनावत बनाम। सतीश प्रकाश, 2015 (1) आर. सी. आर. सिविल 955; प्रीतम सिंह बनाम अशोक कुमार, 2019 (1) लॉ हेराल्ड (पी एंड एच) 721; राज कुमार बनाम। एल. आर. और ओ. आर. के माध्यम से गैंडा देवी। , 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 658; जे. के. फोर्जिंग्स बनाम। एस्सार कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड और अन्य। , (2009) 113 डी. आर. जे. 612; इंद्रजीत कौर रैना बनाम। परविंदर कौर आनंद, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6557 संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 1 एससीआर 445

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[2015] 12 एससीआर 70

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2018] 10 एससीआर 123

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(सिविल) सं। 3063-3064 2021 से।

उच्च न्यायालय के 08.01.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. एम. पी. सं. में मद्रास में न्यायपालिका। 26742 और 2019 का 26743।

अनीश आर. शाह, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. ये विशेष अनुमति याचिकाएं सामान्य व्यवस्था से उत्पन्न होती हैं और

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय (इसके बाद, 'उच्च न्यायालय') दिनांक 8.01.2020। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने सिविल विविध याचिका संख्या को अनुमति दी। 26742 & 26743 प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर 2019 का अपील वाद सं. 1 में उसके द्वारा जमा की गई अदालती फीस की वापसी के लिए प्रार्थना करना। 876/2012 और उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर 566/2013।

2. इन याचिकाओं से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं: उत्तरदाता

नंबर 1 ने उत्तरदाता नंबर 2 से दो अलग-अलग किराया खरीद समझौतों (इसके बाद, 'समझौता-I' और 'समझौता II') के माध्यम से दो वाहन खरीदे। सामूहिक रूप से, 'समझौते') दिनांक 10.06.1996, जिसके तहत मद्रास आरईपी में न्याय का उच्च न्यायालय।

वी. एम. सी. सुब्रमण्यम [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] उत्तरदाता संख्या 1 प्रमुख देनदार/अवक्रेता था, और उत्तरदाता संख्या। 3 और 4 समझौतों के प्रतिभू थे। समझौतों की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 को दोनों वाहनों में से प्रत्येक के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्धारित किश्तों में Rs.10,08,000/- की राशि का भुगतान करना था।

3. हमारे उद्देश्यों के लिए यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल सूट संख्या लेकर आया था। 66/2003 और 76/2003 उत्तरदाताओं के विरुद्ध संख्या। 1 , 3 और 4 क्रमशः अतिरिक्त जिला मुन्सिफ न्यायालय, कोयम्बटूर (इसके बाद, 'मुन्सिफ न्यायालय') और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय, कोयम्बटूर (इसके बाद, 'जिला न्यायालय') के समक्ष। दोनों मुकदमों में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने रुपये का भुगतान न करने का आरोप लगाया।

समझौता-I और समझौता-II में निर्धारित किश्तों के लिए क्रमशः रु. 5,97,200/- और ब्याज के साथ शेष राशि की वसूली की मांग की। दोनों मूल मुकदमों Nos.66/2003 और 76/2003 को आंशिक रूप से मुन्सिफ न्यायालय और जिला न्यायालय द्वारा क्रमशः 13.02.2004 और 31.01.2005 के निर्णयों द्वारा घोषित किया गया था।

सं. 66/2003 और O. S. No.76/2013, क्रमशः। जबकि अपीलें थीं उच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी विचाराधीन, पक्षकारों ने अदालत के बाहर एक निजी समझौता किया, इस प्रकार उनके बीच विवाद का समाधान हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया, जिसमें अपील मुकदमे संख्या वापस लेने की अनुमति मांगी गई। 876 / 2012 और 566/2013। इस तरह की अनुमति, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जमा किए गए अदालत शुल्क को वापस करने के निर्देश के साथ, ए. एस. Nos.566/2013 और ए. एस. संख्या में दिनांकित 16.09.2019 और 18.09.2019 के आदेशों द्वारा दी गई थी। 876/2012 क्रमशः।

5. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के बावजूद, रजिस्ट्री ने अदालत की फीस की वापसी के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के अनुरोध को मौखिक रूप से अस्वीकार कर दिया।

विविध याचिका संख्या। 26742/2019 और धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद, 'सी. पी. सी.') के तहत ए. एस. सं. में उनके द्वारा भुगतान की गई अदालत की फीस की वापसी के लिए प्रार्थना करते हुए। 876/2012 और 566/2013 क्रमशः, दिनांकित 18.09.2019 और 16.09.2019 आदेशों के संदर्भ में। 6. विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 8.01.2020 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिविल विविध [2021] 1 एस. सी. आर. को अनुमति दी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. इस सवाल को संबोधित करते हुए कि क्या संबंधित नियमों के तहत अदालत शुल्क की वापसी की अनुमति थी, उच्च न्यायालय ने विचार किया तमिलनाडु न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1955 (इसके बाद, '1955 अधिनियम') की धारा 69-ए, जो इस प्रकार हैः

" 69 - ए. धारा 89 के तहत विवादों के निपटारे पर धनवापसी

सिविल प्रक्रिया संहिता। जहाँ न्यायालय संदर्भित करता है

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 में निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के किसी भी तरीके के लिए वाद के पक्षकार

(1908 का केंद्रीय अधिनियम 5), भुगतान किया गया शुल्क इस तरह के संदर्भ पर वापस कर दिया जाएगा। इस तरह के धनवापसी के निपटान के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है

विवाद "। (जोर दिया गया)

अपील मुकदमों को मूल मुकदमों की निरंतरता मानते हुए, और इसलिए धारा 69-ए में प्रदान किए गए 'मुकदमों' के दायरे में आने पर, न्यायालय ने धारा 89, सी. पी. सी. का संज्ञान लिया, जो इस प्रकार हैः

निम्नलिखित हैः

" 89. न्यायालय के बाहर विवादों का निपटान। — (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, वहां न्यायालय तैयार करेगा।

समझौते की शर्तें और उन्हें पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए दें और पक्षों की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, न्यायालय संभावित समझौते की शर्तों में सुधार कर सकता है और

इसके लिए एक ही संदर्भ लेंः

(क) मध्यस्थता;

((ख) सुलह;

(ग) लोक अदालत के माध्यम से निपटान सहित न्यायिक समझौताः या

((घ) मध्यस्थता।

(2) क्या कोई विवाद संदर्भित किया गया है

(क) मध्यस्थता या सुलह के लिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे -

मध्यस्थता या सुलह के लिए कार्यवाही को संदर्भित किया गया था

उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत समझौता;

(ख) लोक अदालत को, न्यायालय इसे मद्रास आर. ई. पी. में उच्च न्यायालय की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार लोक अदालत को भेजेगा।

वी. एम. सी. सुब्रमण्यम [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) और उस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान विवाद के संबंध में लागू होंगे।

लोक अदालत को संदर्भित;

(ग) न्यायिक निपटारे के लिए, न्यायालय उसी को किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति के पास भेजेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत माना जाएगा और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के सभी प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि विवाद को उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोक अदालत में भेजा गया था।

(घ) मध्यस्थता के लिए न्यायालय पक्षों के बीच समझौता करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जाए।

8. उपरोक्त प्रावधानों पर उचित विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके लाभकारी इरादे को देखते हुए, उनकी व्याख्या की जानी चाहिए

उदारतापूर्वक, इस तरह से जो उनके उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति करेगा। उन्हें संकीर्ण रूप से तैयार करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें मध्यस्थता केंद्र या सी. पी. सी. की धारा 89 के तहत वैकल्पिक न्यायिक निपटान के अन्य केंद्रों के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा करने वाले पक्ष अपनी अदालत की फीस की वापसी का दावा करने के हकदार होंगे, जबकि वे पक्ष जो निजी तौर पर विवादों का निपटारा करते हैं। स्वयं को धनवापसी मांगने के लिए किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया जाएगा। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने राय दी कि दोनों के बीच इस तरह का अंतर व्यवहार

समान रूप से स्थित व्यक्ति, के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा

संविधान। इसलिए, उच्च न्यायालय के विचार में, सी. पी. सी. की धारा 89 और परिणामस्वरूप 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए की संवैधानिक व्याख्या के लिए यह आवश्यक होगा कि इन प्रावधानों में पक्षकारों के बीच अदालत के बाहर विवाद निपटारे के सभी तरीके शामिल हों, जिन पर अदालत बाद में कानूनी रूप से पहुंची है।

9. असंतुष्ट, याचिकाकर्ता ने यहां उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को चुनौती दी है।

10. याचिकाकर्ता की दलीलों की गंभीरता यह है कि धारा

69 - 1955 के अधिनियम का ए केवल उन मामलों में अदालत शुल्क की वापसी पर विचार करता है जहां न्यायालय स्वयं पक्षकारों को सी. पी. सी. की धारा 89 में सूचीबद्ध किसी भी वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के लिए संदर्भित करता है। कि इसलिए यह वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है, जहां पक्षकार, न्यायालय द्वारा किसी भी संदर्भ के बिना, सी. पी. सी. की धारा 89 के तहत विचार किए गए तरीकों के बाहर अपने विवाद को निपटाने के लिए निजी तौर पर सहमत हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अदालत का विश्लेषण

11. याचिकाकर्ता को सुनने और आगे दी गई दलीलों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, हम नीचे उल्लिखित कारणों से याचिकाकर्ता की दलीलों से खुद को अप्रभावित पाते हैं।

12. सी. पी. सी. की धारा 89 के प्रावधानों को दीवानी मामलों में मुकदमेबाजी के लंबे समय से बढ़ते प्रसार की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के संशोधन और संबद्ध प्रावधानों पर अपनी 238 वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि धारा 89 ने अब दीवानी अदालतों पर यह दायित्व बना दिया है कि वे दीवानी विवादों को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं की ओर मोड़ने की दिशा में प्रयास करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। न्यायालय के बाहर समझौता (पैरा 2.3)। ये टिप्पणियां धारा 89 के उद्देश्य और उद्देश्य को स्पष्ट करती हैं- निजी बस्तियों को सुविधाजनक बनाने और भारतीय न्यायपालिका के भीड़भाड़ वाले हिस्से को हल्का करने में सक्षम बनाने के लिए। यह उद्देश्य, भारतीय न्यायालयों में समय पर न्याय के प्रभाव के लिए पवित्र और अनिवार्य होने के कारण, धारा 69-ए के बारे में भी सूचित करता है।

इसलिए, दोनों प्रावधानों में से इस न्यायालय की व्याख्या को सूचित करना चाहिए। 13. उपरोक्त प्रावधानों की हमारी व्याख्या पर आगे विस्तार से बताने से पहले, इस न्यायालय के निम्नलिखित अभिधारणा पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय में व्याख्यात्मक भूमिका v. दीपक महाजन, 1994 3 एससीसी 440 -

" 24 ..... यद्यपि न्यायालयों का कार्य केवल कानून की व्याख्या करना है न कि कानून बनाना, फिर भी विधायिका को अपने इरादे और कानून की भावना के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को हल करने के लिए बैठने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कानून की उदारता से व्याख्या करके कानून को बनाए या रचनात्मक रूप से व्याख्या करे।

25. क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में, दसवां संस्करण। पृष्ठ पर

229 , निम्नलिखित परिच्छेद मिलता हैः

" जहां किसी कानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाती है, जिसका संभवतः इरादा नहीं है, मद्रास आरईपी में न्याय का उच्च न्यायालय।

वी. एम. सी. सुब्रमण्यम [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

इस पर निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है। ..... जहां किसी कानून का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट है, वहां आवश्यकता के मामले को छोड़कर, कानून के बारे में मसौदा तैयार करने वाले की लापरवाही या अज्ञानता से इसे शून्य नहीं किया जाना चाहिए।

उपयोग की गई भाषा "। (जोर दिया गया)

अतः यह सर्वसम्मत है कि न्यायालय अनजाने में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी कठिनाई या अन्याय से बचने के लिए

कानून की भाषा, उसी की व्याख्या को ढालती है ताकि अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसमें उन स्थितियों को शामिल करने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के दायरे का विस्तार करना शामिल हो सकता है जो उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा में सख्ती से शामिल नहीं हैं।

14. वैधानिक व्याख्या के इस सिद्धांत की पुष्टि हाल ही में शैलेश धैर्यवान बनाम में निर्णय में की गई है। मोहन

बालकृष्ण लुल्ला (2016) 3 एस. सी. सी. 619 -

" 33 ..... हालांकि कुछ समय पहले तक व्याख्या के शाब्दिक नियम को "सुनहरा नियम" माना जाता था, लेकिन अब यह उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत है जो प्रमुख है, विशेष रूप से उन मामलों में। जहाँ शाब्दिक व्याख्या उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती है या हो सकती है

मूर्खता की ओर ले जाता है। यदि यह एक ऐसा अंत लाता है जो क़ानून के उद्देश्य से भिन्न है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (जोर दिया गया)

अनुराग मित्तल बनाम मामले में इस न्यायालय के बाद के फैसले में इसका पालन किया गया था। शैली मिश्रा मित्तल, (2018) 9 एससीसी 691।

15. सांविधिक व्याख्या के इन स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, अब हम उन विशिष्ट प्रावधानों का विज्ञापन करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो हैं -

वर्तमान विवाद का विषय। सी. पी. सी. की धारा 89 और 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए की संकीर्ण व्याख्या, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा लागू करने की मांग की गई थी, एक ऐसे परिणाम की ओर ले जाएगी जिसमें न्यायालय द्वारा मध्यस्थता केंद्र या अन्य केंद्रों को भेजे जाने वाले पक्ष अपने न्यायालय शुल्क के पूर्ण धनवापसी के हकदार होंगे; जबकि जो पक्ष इसी तरह अपने विवाद को निजी रूप से निपटाकर न्यायालय के समय और संसाधनों की बचत करते हैं, वे उसी लाभ से वंचित होंगे, केवल इसलिए कि उन्हें समझौता करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह की व्याख्या, हमारे

राय, स्पष्ट रूप से एक बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम की ओर ले जाती है, जहां पक्षों के दो वर्ग जो समान रूप से उद्देश्य और उद्देश्य को सुविधाजनक बना रहे हैं उपरोक्त प्रावधानों को अलग-अलग माना जाता है, जिसमें एक वर्ग [2021] 1 एस. सी. आर. है।

1955 के अधिनियम की धारा 69-ए के लाभ से वंचित। इस पृष्ठभूमि में एक शाब्दिक या तकनीकी व्याख्या, केवल अन्याय की ओर ले जाएगी और प्रावधानों के उद्देश्य को निरर्थक बना देगी-और इस प्रकार, प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के पक्ष में, इससे अलग होने की आवश्यकता है।

16. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

अन्य राज्यों में भी उच्च न्यायालयों द्वारा विवादित फैसले की पुष्टि की गई है। कमलम्मा एंड ओआरएस में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। वी. होन्नाली तालुक कृषि प्रोड्यूस को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, (2010) 1 एयर कर। आर 279, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

या लोक अदालत में सुलह, धारा के प्रावधानों को लागू करके 89 , सी. पी. सी. या वे बिना इसके अपने बीच समझौता कर लेते हैं।

किसी भी मध्यस्थ/मध्यस्थ/सुलहकर्ता का हस्तक्षेप

लोकदलथ आदि, और धारा 89 के प्रावधान को लागू किए बिना, सी. पी. सी., तथ्य यह है कि वे अपने विवाद को बिना सुलझाए सुलझा लेते हैं

न्यायालय का हस्तक्षेप। यदि वे अपने विवाद को सुलझा लेते हैं धारा 89, सी. पी. सी. को लागू करते हुए, उस स्थिति में राज्य को करना पड़ सकता है

कुछ खर्च करना पड़ता है लेकिन, अगर वे अपने विवाद को आपस में सुलझा लेते हैं

स्वयं न्यायालय या किसी और के हस्तक्षेप के बिना,

जैसे मध्यस्थ/मध्यस्थ आदि, राज्य को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

न्यायालय-इसके संबंध में शुल्क की वापसी का हकदार होना चाहिए। पूर्ण न्यायालय-न्यायालय की धारा 16 के तहत प्रदान की गई फीस-शुल्क

अधिनियम, 1870 "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 16 इस प्रकार है -

1955 के अधिनियम की धारा 69-ए और इसलिए उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान मामले में समान रूप से लागू होते हैं।

17. कमलम्मा (सुप्रा) में होल्डिंग का पालन किया गया है

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रदीप सोनावत बनाम. सतीश प्रकाश, 2015 (1) आरसीआर सिविल 955 और प्रीतम सिंह बनाम। अशोक कुमार, 2019 (1) लॉ हेराल्ड (पी एंड एच) 721, जिसकी मद्रास आर. ई. पी. में हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर में पुष्टि की गई थी।

वी. सुब्रमण्यम [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]कुमार बनाम। एल. आर. एंड ओ. आर. एस. के माध्यम से गैंडा देवी। , 2019 एससीसी ऑनलाइन

658 .

18. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी जे. के. इंग्स बनाम में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। एस्सार कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड और अन्य। , (2009) 113 डीआरजे

" 11. इन धाराओं को शामिल और संशोधित करके जो प्रशंसनीय उद्देश्य हासिल किया जाना चाहिए, वह त्वरित निपटान प्रतीत होता है। कानून के पीछे की नीति निपटान द्वारा मामलों की संख्या को कम करना है। सी. पी. सी. की धारा 89 और अदालत शुल्क अधिनियम की धारा 16 का स्वागत है।

उस दिशा में कदम उठाते हुए, जैसे-जैसे मामलों की संख्या बढ़ी है, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह निपटान को प्रोत्साहित करे। अदालतों में मामलों की भारी लम्बितता के वर्तमान परिदृश्य में एक उद्देश्यपूर्ण और प्रगतिशील

व्याख्या वर्तमान समय की आवश्यकता है। की मंशा

विधानमंडल को मुख्य रूप से उद्देश्य और भौतिक प्रावधानों में उपयोग किए गए शब्दों से एकत्र किया जाना है। कानून होना चाहिए

उनके सादे व्याकरणिक अर्थ में व्याख्या की गई।

12. यह बहुत स्पष्ट है कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 16 के विधायी इरादे को उन सभी स्थितियों का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त व्यापक बनाया गया था जिनमें पक्षकार कार्यवाही के चरण की परवाह किए बिना किसी समझौते पर पहुंचते हैं। यह भी स्पष्ट है कि इस प्रावधान को बनाने का उद्देश्य उस पक्ष को किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान करना था जिसने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने और अदालत की फीस का पूरा रिफंड प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन को अनुमति देनी होगी।

14. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुकदमे के पक्षकार लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद अदालत में समझौते के लिए आए हों। यदि यह लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे का मामला होता तो अदालत की फीस की वापसी न करना उचित होता, लेकिन ऐसे मामलों में अदालतों को पक्षकारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए और शिकायत के साथ संलग्न अदालत की फीस होनी चाहिए।

उन्हें प्रोत्साहन के रूप में वापस किया जाए।

XXX

17. केवल सी. पी. सी. की धारा 89 के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से विवाद का निपटान धारा 89 सी. पी. सी. की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि यह कुछ तरीकों को निर्धारित करता है जिनके माध्यम से समझौता किया जा सकता है, धारा 89 की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य रूप से अदालत के हस्तक्षेप के बिना अदालत के बाहर पक्षों के बीच समझौता है।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. यह भी धारा की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय को हमेशा पक्षों को विवाद समाधान मंच को संदर्भित करना चाहिए। यदि पक्ष अदालत के बाहर समझौता कर चुके हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

समता के सिद्धांतों के अधीन।

19. न्यायालय शुल्क अधिनियम एक कर कानून है और इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता का लाभ लेना चाहिए यदि कोई पक्ष के पक्ष में जाना है न कि राज्य के पक्ष में। (जोर दिया गया)

कमलम्मा (सुप्रा) और जे. के. फोर्जिंग्स दोनों में लिया गया दृष्टिकोण

विवाद निपटान के वैकल्पिक तरीकों की खोज करना। जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कमलम्मा (ऊपर) में ठीक ही कहा है, जो पक्ष धारा 89, सी. पी. सी. के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमत हुए हैं, वे इस लाभ के और भी अधिक हकदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने दावों को स्वयं हल करने का विकल्प चुनकर उन्होंने राज्य को विवाद को निपटाने के लिए तीसरे पक्ष की संस्था की व्यवस्था करने की तार्किक परेशानी से बचाया है। यद्यपि मध्यस्थता और मध्यस्थता निश्चित रूप से हितकारी विवाद समाधान तंत्र हैं, हम यह भी पाते हैं कि पक्षों के बीच निजी सौहार्दपूर्ण बातचीत के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में, कोई उचित कारण नहीं है कि धारा 69-ए को केवल धारा 89, सी. पी. सी. में बताए गए अदालत से बाहर के निपटारे के तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और पक्षों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य तरीकों के साथ सौतेला व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें पक्षकारों ने लंबे समय तक चले मुकदमे या कई तुच्छ मुकदमों के बाद, अपने विवादों को निपटाने की आड़ में अदालत की फीस की वापसी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया हो। ऐसे मामलों में, न्यायालय, पक्षों के पिछले आचरण और समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मद्रास आर. ई. पी. में न्याय के उच्च न्यायालय को राहत देने से इनकार कर सकता है।

वी. एम. सी. सुब्रमण्यम [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

अदालत की फीस से संबंधित प्रासंगिक नियमों के तहत। हालाँकि, हम वर्तमान मामले को ऐसी प्रकृति का नहीं पाते हैं।

20. इस प्रकार, भले ही धारा की शर्तों का एक सख्त निर्माण

89 , सी. पी. सी. और 1955 के अधिनियम के 69-ए में ऐसी निजी व्यवस्था शामिल नहीं हो सकती है।

पक्षों के बीच बातचीत और निपटान, हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह के निपटान में भाग लेने वाले उन लोगों के समान लाभों के हकदार होंगे जिन्हें धारा 89, सी. पी. सी. के तहत वैकल्पिक विवाद निपटान विधियों का पता लगाने के लिए संदर्भित किया गया है। वास्तव में, हम यह उलझन में पाते हैं कि याचिकाकर्ता को इस तरह का लाभ देने का इतना जोरदार विरोध करना चाहिए। यद्यपि रजिस्ट्री/राज्य सरकार को अल्पावधि में एक बार का न्यायालय शुल्क का नुकसान होगा, लेकिन वे लंबी अवधि में मुकदमेबाजी के अंतहीन चक्र के प्रबंधन के खर्च और अवसर लागत को बचाएंगे। इसलिए यह उनके अपने हित में है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 के दावे की अनुमति दें।

21. इस प्रकार, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि

सी. पी. सी. की धारा 89 और 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए की व्याख्या की जाए।

उदारतापूर्वक। इस व्यापक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं और मानते हैं कि सी. पी. सी. की धारा 89 में निम्नलिखित शामिल होंगेः और 1955 के अधिनियम की धारा 69-ए का लाभ पक्षकारों के बीच अदालत के बाहर विवाद निपटारे के उन सभी तरीकों तक भी विस्तारित होगा, जिन पर अदालत बाद में कानूनी रूप से पहुंची है। इस प्रकार, यह वर्तमान विवाद को शामिल करेगा, जिसमें एक निजी समझौता किया गया था।

और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील वापस लेने के लिए एक ज्ञापन दायर किया गया था। ऐसे मामले में भी, अपीलार्थी, अर्थात प्रतिवादी संख्या 1, न्यायालय शुल्क की वापसी का हकदार होगा।

निष्कर्ष और निर्देश

22. इन याचिकाओं को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, और विवादित

उच्च न्यायालय के दिनांकित 8.01.2020 के फैसले को बरकरार रखा गया है।

23. याचिकाकर्ताओं को अदालत में जमा की गई फीस वापस करने का निर्देश दिया जाता है

2013 , छह सप्ताह की अवधि के भीतर। देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।